Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जैसलमेर में राजस्थान स्टेट बैवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो मैनेजर को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **करौली में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तकनीकी सहायक को 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *5 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की विभिन्न टीमों द्वारा राज्य में दो स्थानों पर कार्यवाही करते हुये आज शुक्रवार को जैसलमेर में डिपो मैनेजर, राजस्थान स्टेट बैवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड महेन्द्र सिंह को 10 हजार रुपये तथा करौली में जयपुर विद्युत वितरण निगम के तकनीकी सहायक शिवकेश मीना को 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि डिपो पर शराब पेटी लोडिंग–अनलोडिंग करने के लिये प्रति पेटी 1 रुपये के हिसाब से मिलने वाले भुगतान तथा ट्रक चालक द्वारा डाला खोलने एवं बन्द करने पर दी जाने वाली ईनाम राशि के भुगतान करने की एवज में डिपो मैनेजर, महेन्द्र सिंह द्वारा 22 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की जैसलमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अन्नराज राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा जैसलमेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **महेन्द्र सिंह पुत्र श्री फूलराम मेधवाल** निवासी ग्राम गाडाखेडा, त. भुवाना, पुलिस थाना सिधाणा, जिला झुंझुनू हाल इसंपेक्टर तिलम संघ, जयपुर हाल **डिपो मैनेजर, राजस्थान स्टेट बैवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसलमेर** को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार श्री सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि कनेक्शन बिल की रीडिंग संशोधित करने की एवज में **जयपुर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–प्रथम, हिण्डौन, करौली के तकनीकी सहायक शिवकेश मीना** द्वारा 8 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की करौली इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अमर सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा हिण्डौन, करौली में ट्रेप कार्यवाही करते हुये शिवकेश मीना पुत्र श्री जगराम मीना निवासी जैचडी, टोडाभीम, करौली हाल तकनीकी सहायक, **कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–प्रथम, जयपुर विद्युत वितरण निगम हिण्डौन, करौली** को 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।